फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थी:– पीराराम

बनाम

अप्रार्थी:– राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधि.

प्रा.पत्र संख्या: – 21 /2025

जीसीएमएस नंबर :–.........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11/03/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस जारी हो। तहसीलदार जोधपुर को रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 24/03/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	
24/3/25	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है अन्य कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28/3/25 को पेश हो।	
28/3/25	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है अन्य कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8/4/25 को पेश हो।	
8/4/25	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है अन्य कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30/4/25 को पेश हो।	
30/4/25	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है अन्य कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12/5/25 को पेश हो।	
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 30/5/25 को पेश हो।	

30/5/25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 18/6/25 को पेश हो।

18/6/25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 8/7/25 को पेश हो।

8/7/25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 12/8/25 को पेश हो।

12/8/25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 8/10/25 को पेश हो।

8/10/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से विस्तृत आदेश लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी:– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या:– 21/2025
जीसीएमएस नंबर: 2025/65

प्रार्थी:–

1. पीराराम पुत्र स्व. खींयाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालीं की ढाणियां, ग्राम बेरू तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–::आदेश::– दिनांक:– 6.11.025

उपस्थिति:– 1. श्री कानाराम अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 1415 क्षेत्रफल 1.8535 हैक्ट., खसरा सं. 1415/1 क्षेत्रफल 1.8939 हैक्ट., खसरा सं. 540 क्षेत्रफल 1.4326 हैक्ट. राजस्व ग्राम शिवनगर (पूर्व बेरू) तह. व जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम सहखातेदारी में इन्द्राज रहा है। सद्भाविक भूल से प्रार्थी का नाम खसरा सं. 540 व 1415 की जमाबंदी में मीराराम दर्ज इन्द्राज है और खसरा सं. 1415/1 में भीरीया उर्फ विरीयाराम दर्ज इन्द्राज रहा है। ग्राम शिवनगर, पटवार हल्का बैरू की जमाबंदी संवत् 2060–2063 से लगातार के खाता सं. नया 95 पुराना 376 में दर्ज कृषि भूमि खसरा सं. 450 क्षेत्रफल 1.4326 हैक्ट. व ग्राम शिवनगर के खाता सं. नया 97 पुराना 377 में दर्ज कृषि भूमि खसरा सं. 1415 क्षेत्रफल 1.8535 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम मीरारराम पुत्र खींयाराम दर्ज इन्द्राज है। राजस्व ग्राम शिवनगर की जमाबंदी के खाता सं. नया 98 पुराना 388 में दर्ज कृषि भूमि खसरा सं. 1415/1 क्षेत्रफल 1.8939 हैक्ट. भूमि में प्रार्थी का नाम भीरीया उर्फ वीरीयाराम दर्ज इन्द्राज है व ऑनलाईन जमाबंदी में मीराराम पुत्र खीयाराम दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पीराराम दर्ज है लेकिन राजस्व रेकर्ड में मीराराम व भीरीया नाम पूर्व से दर्ज चला आ रहा है। अतः ग्राम शिवनगर , पटवार हल्का बैरू, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र माणकलाव तह. व जिला जोधपुर की कृषि भूमि खसरा सं. 1415 क्षेत्रफल 1.8535 हैक्ट. खसरा सं. 1415/1 क्षेत्रफल 1.8939 हैक्ट. एवं खसरा सं. 540 क्षेत्रफल 1.4326 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम मीराराम व भीरीया के स्थान पर पीराराम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा क्रमांक रीडर/2025/439 दिनांक 16.05.2025 को रिपोर्ट पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम बैरू के खसरा सं. 1415 रकबा 11–15 बीघा, खसरा सं. 540 रकबा 8–17 बीघा व 1415/1 रकबा 11–14 बीघा सूजाराम पेमाराम वगै. जाति मेघवाल के नाम जमाबंदी संवत् 2060–2063 में दर्ज है। ग्राम बैरू की जमाबंदी संवत् 2060–2063 में खसरा सं. 1415 में मीराराम पुत्र खीयाराम, खसरा सं. 540 में प्रार्थी का नाम मीराराम पुत्र खीयाराम व खसरा सं. 1415/1 में भीरीया उर्फ वीरीयाराम दर्ज है। ग्राम बैरू की जमाबंदी संवत् 2039–2042 में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा स. 1415 मे मीरीया पुत्र खीयाराम व खसरा स. 540 मे मीरीया पुत्र खीयाराम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2044–2047 मे खसरा स. 1415 मे मीरीया पुत्र खीयाराम जाति मेघवाल दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2048–2051 एवं 2052–2055 मे खसरा स. 1415 व 540 मे मीरीया पुत्र खीयाराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, व आधार कार्ड के आधार पर पीराराम पुत्र खीयाराम शुद्ध करने की अनुशषा हल्का पटवारी द्वारा की गई है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम शिवनगर, पटवार हल्का बैरू, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र माणकलाव तह. व जिला जोधपुर की कृषि भूमि खसरा सं. 1415 क्षेत्रफल 1.8535 हैक्ट. खसरा सं. 1415/1 क्षेत्रफल 1.8939 हैक्ट. एवं खसरा सं. 540 क्षेत्रफल 1.4326 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम मीराराम व भीरीया के स्थान पर पीराराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। तहसीलदार जोधपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 8/10/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner